[illegible] मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

बनाम

[illegible] हुक्म सं. हरीप्रसाद वगैरा

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिनांक 13-08-2019

आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिया व उनके वकील को बार बार आवाज दिलाई गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं है। इसके अलावा प्रार्थिया द्वारा यह प्रार्थना पत्र दिनांक 17-12-18 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया किन्तु अप्रार्थीगण की तलबी हेतु तलबाना सम्मन प्रस्तुत नहीं किये गये है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थिया अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रति गंभीर नहीं है तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को चलाना नहीं चाहता है।

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रार्थिया के पक्ष में जारी अन्त.अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 15-01-2019 निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)